संख्या-31/2022/794जेएल/22-3-2022-100(38)/2013

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 24 जून, 2022

विषय- जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध 03 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-19023/सामा-1(7)/रामपुर/04 बंदी/2022, दिनांक 14-06-2022 में की गयी संस्तुति के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध निम्नलिखित 03 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 की कारागारों में स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0	बंदी का नाम/पिता का नाम	वर्तमान निरूद्धि की कारागार	स्थानान्तरण हेतु प्रस्तावित कारागार
1	2	3	4
1	सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी उमेश राय उर्फ गौरा राय पुत्र श्री मुक्तेश्वर राय	जिला कारागार, रामपुर	केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज
2	विचाराधीन बंदी अजीत सिंह पुत्र श्री श्योराज सिंह	जिला कारागार, रामपुर	केन्द्रीय कारागार, बरेली द्वितीय
3	विचाराधीन बंदी शौकत उर्फ शौकत अंसारी पुत्र श्री जहीरउलहसन उर्फ जहूर	जिला कारागार, रामपुर	जिला कारागार, अयोध्या

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-31/2022/794जेएल(1)/22-3-2022-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2 निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर/प्रयागराज/बरेली/अयोध्या।
5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज/बरेली/अयोध्या/ रामपुर ।
6- वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज/केन्द्रीय कारागार, बरेली द्वितीय/जिला कारागार, अयोध्या।
7- अधीक्षक, जिला कारागार, रामपुर को इस निदेश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदियों को जिला कारागार, रामपुर से संबंधित कारागारों में स्थानान्तरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in